पत्रांक : — /आयु0क0उत्तरा0/प्रव0–अनु0/वाणि0कर/2016–17/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(प्रवर्तन–अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः 09 दिसम्बर, 2016

//विज्ञप्ति//
(धारा 42(3) के अन्तर्गत)

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 42(3) के अन्तर्गत जारी पूर्व विज्ञप्ति संख्या 3991 दिनांक 05.11.2015, जिसके द्वारा किसी कारोबार परिसर या आवासीय स्थान में प्रवेश, उसके निरीक्षण और उसकी तलाशी लिये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु जोनल एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर को प्राधिकृत किया गया था, को एतद्द्वारा विखण्डित किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 42(3) के अन्तर्गत किसी कारोबार परिसर या आवासीय स्थान में प्रवेश, उसके निरीक्षण और उसकी तलाशी लिये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0का0ब0/टै0रि0) वाणिज्य कर को प्राधिकृत किया जाता है।

यह विज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 4833/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारि संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराएं।
5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0का0ब0/टै0रि0) वाणिज्य कर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए उक्त परिप का स्वयं भी अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।
6– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
7– श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त को वाणि कर की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
8– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।
9– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
10– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
11– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,

Scanned by CamScanner